

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-144) 8683 / अलेसे- I / 113  
आदेश

दिनांक:- 24.05.2019

श्री हेमेन्द्र कुमार पहाड़ (जन्म दिनांक 22.11.1959), जो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के रूप में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त- डूंगरपुर में कार्यरत है, को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30.11.2019 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री हेमेन्द्र कुमार पहाड़ के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में, आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।

(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एच-144) 8683 / अलेसे- I / 113

दिनांक:- 24.05.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय .....
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ..... को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सके।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री ..... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय .....
8. अलेसे-I/II/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/ गार्ड फाइल।

(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)